श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) उत्तराखण्ड़-२४६१९९
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul (Tehri Garhwal) Uttarakhand - 249199

पत्रांकः–3273 / प्रशासन / एसडीएसयूवी / 2025 — दिनांक:22 अगस्त, 2025

कार्यालय–ज्ञाप

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर में अध्ययनरत कतिपय छात्र–छात्राओं एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं के समाधान हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्रों पर मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों / संस्थानों हेतु निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते हैं:–

1. षष्ठ्म सेमेस्टर की परीक्षा में उत्तीर्ण ऐसे छात्र–छात्रायें जो Co-Curricullor विषय में सेमेस्ट पंचम एवं षष्ठ्म में Not-Qualified हैं, उन्हें स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु अर्ह माना जाए लेकिन स्नातक की डिग्री तब तक प्रदान न की जाए जब तक कि वे इसमें Qualified न हो जाएँ।
2. स्नातक स्तर में सत्र 2022–25 बैच के कतिपय छात्र–छात्राएं जो पंचम सेमेस्टर में प्रवेशित होंगे उनका समर्थ में पूर्व का डाटा इसलिए प्रदर्शित नहीं है क्योंकि सत्र 2022–23 में प्रवेश प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से सम्पन्न नहीं हुई थी। ऐसे छात्र–छात्राओं का प्रवेश डाटा सम्बन्धिता संस्थान एवं परीक्षा का डाटा विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही उपलब्ध होगा। अतः इसी डाटा के आधार पर उनके प्रवेश की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
3. वार्षिक पाठ्यक्रम एवं NON-NEP सेमेस्टर वाले कतिपय छात्र–छात्रायें जो किसी कारण से अनुत्तीर्ण रह गए हैं उनको भी N+2 नियमानुसार प्रवेश देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त छात्र–छात्राओं को पुराने पाठ्यक्रम, जो तत्समय लागू था, के अनुसार परीक्षा देनी होगी।
4. किसी विषय से स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण छात्र–छात्राओं को दुबारा उसी विषय में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दिये जाने एवं अन्य विषयों में प्रवेश प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त आदेशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्र0 निजी सचिव, कुलपति को, मा0 कुलपति महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. निदेशक, विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश।
4. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर ऋषिकेश।
6. प्राचार्य / निदेशक, समस्त सम्बद्ध राजकीय महाविद्यालय / स्ववित्त पोषित / निजी शिक्षण संस्थान।
7. कार्यालय प्रति।

(दिनेश चन्द्रा)
कुलसचिव।